

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल (शाखा-प्रशासन-11)

ए-ब्लॉक, सेक्रेण्ड फ्लोर, वन भवन, तुलसीनगर, म.प्र.भोपाल पिनकोड-462003
फोन नं.- 0755 2674238 Email Id- apccfng@mp.gov.in

//आदेश//

क्रमांक/प्रशा.-11/मुख्या.स्था.-4/346

भोपाल, दिनांक 17/06/2025

विभाग अंतर्गत निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के दफ्तरी एवं भृत्य कर्मचारियों को स्वयं के व्यय पर कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुये कॉलम-5 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है:-

क्र	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री आशा धार्वीया	सा. वनमंडल सेंधवा	सा. वनमंडल इन्दौर
2	श्रीमती दीपा गोडिया	माधव टाईगर रिजर्व, शिवपुरी	सा. वनमंडल ग्वालियर
3	कु. रानी हीरे	सा. वनमंडल खरगोन	वन वृत्त खण्डवा
4	श्रीमती सोनम दलवी	सा.वनमंडल पश्चिम छिंदवाडा	सा. वनमंडल पांडुर्णा
5	श्रीमती संध्या इनवाती	सा.वनमंडल पांडुर्णा	सा. वनमंडल पश्चिम छिंदवाडा
6	श्री नितिन चौहान	वृत्त कार्यालय इन्दौर	सा. वनमंडल औवेदुल्लागंज
7	श्री फूलभानसिंह मर्सकोले	सा. वनमंडल पांडुर्णा	उत्पादन वनमंडल छिन्दवाडा
8	श्री घिरेन्द्र धुर्वे	उत्पादन वनमंडल छिन्दवाडा	सा. वनमंडल पांडुर्णा
9	श्री मुकेश कुमार श्रीवास	सा. वनमंडल उत्तर पन्ना	वन वृत्त कार्यालय छतरपुर

उक्त स्थानांतरण में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

- स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों से भारमुक्त करने से पूर्व नवीन पदस्थापना वाले जिले में उनके संवर्ग में उनकी वरीयता कनिष्ठतम होने संबंधित सहमति ली जाकर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जावे। यदि लिखित में सहमति नहीं दी जाती है तो संबंधित को भारमुक्त न करते हुये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2) को अवगत करावे।
- भारमुक्त करने से पूर्व लिखित सहमति लिये जाने पर संबंधित स्थापना प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।
- स्थानांतरित शासकीय सेवक को भारमुक्त करने के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहने की स्थिति में उनके अवकाश स्वीकृति नवीन पदस्थापना वाले कार्यालय द्वारा की जावेगी।
- स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर्मचारियों को यात्रा भत्ते एवं पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी।
- आदेश जारी होने के दिनांक से 02 सप्ताह के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों को स्थानीय व्यवस्था से अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अनुमोदित

(कमलिका मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्र. क्रमांक/प्रशा.-॥/मुख्या.स्था.-४/ 3310

भोपाल, दिनांक 17/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय राज्य वनमंत्री, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्यो.) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. वरिष्ठ निज सहायक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-॥) वन भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य वन संरक्षक (खण्डवा/इन्दौर/शिवपुरी/ग्वालियर/छिन्दवाड़ा/भोपाल/छतरपुर) मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
8. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल (सैंधवा/इन्दौर/ग्वालियर/खरगोन/पश्चिम छिन्दवाड़ा/पांडुर्णा/औबेदुल्लागंज/उत्पादन छिन्दवाड़ा/उत्तर पन्ना) मध्यप्रदेश।
9. संबंधित कर्मचारी..... द्वारा नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10. आदेश/गार्ड फाईल।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-॥)
मध्यप्रदेश, भोपाल